सेवा में,

थाना प्रभारी महोदय,

अरगोड़ा थाना, रांची, झारखंड।

विषय : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा को अपवित्र एवं अपमानित करने तथा प्रतिमा पर अभद्र शब्द लिखने वाले अज्ञात असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं इन्द्रजीत कुमार यादव, पिता - स्व. शिबु सिंह यादव, निवासी - –एम.आई.जी.एम. एफ.एच.–10, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, थाना -अरगोड़ा, जिला - रांची (झारखंड) हूँ। तथा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, हरमू मंडल के अध्यक्ष का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ।

कल दिनांक 27 सितंबर 2026 को रात्रि लगभग 09:00 बजे मुझे मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई कि भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश कार्यालय के पीछे स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में स्थापित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा के चेहरे पर किसी असामाजिक एवं राष्ट्रविरोधी मानसिकता वाले तत्व द्वारा मोबिल/काले ज्वलनशील पदार्थ जैसा पदार्थ पोतकर प्रतिमा को अपमानित किया गया है तथा प्रतिमा के शरीर पर किसी नुकीले पदार्थ से खरोंच कर अभद्र एवं आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं।

उक्त घटना की जानकारी प्राप्त होते ही मैंने अपने साथियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को इसकी सूचना दी और तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने स्वयं देखा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा के चेहरे पर काला/जला हुआ मोबिल जैसा पदार्थ पोता गया था तथा प्रतिमा के पेट के हिस्से पर किसी नुकीले पदार्थ से खरोंच कर अभद्र एवं आपत्तिजनक शब्द लिखे गए थे।

यह दृश्य देखकर मुझे एवं सभी कार्यकर्ताओं को अत्यंत पीड़ा, दुःख एवं आघात हुआ। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे लिए केवल एक महापुरुष नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले हमारे पुरोधा और प्रेरणापुंज हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रहित में लगाया और जम्मू-कश्मीर की एकता एवं अखंडता के लिए संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दिया। ऐसे महान राष्ट्रनायक की प्रतिमा के साथ इस प्रकार का घृणित एवं अपमानजनक कृत्य किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं गंभीर विषय है।

प्रतिमा के चेहरे पर मोबिल जैसा पदार्थ पोतना तथा उसके शरीर पर नुकीली वस्तु से खरोंच कर अभद्र भाषा लिखना देखकर वहां उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं श्री दीपक प्रकाश, प्रतुल शाहदेव, रमेश सिंह, अरुण झा, गोविन्दा बाल्मिकी, उज्जव मिश्रा, राजू सिंह, रवि कुमार, निर्मल कुमार एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता एवं आम लोगों में अत्यंत आक्रोश एवं क्षोभ उत्पन्न हुआ। हम सभी के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि आखिर किस प्रकार की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति हमारे राष्ट्रनायक की प्रतिमा के साथ ऐसा कृत्य कर सकता है।

मेरा मानना है कि यह केवल एक प्रतिमा को क्षति पहुंचाने अथवा अपमानित करने की घटना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्थल पर स्थापित एक महान राष्ट्रनायक के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला गंभीर कृत्य है। ऐसी

Indrajeet Yadav

28.09.26

ARGORA P.S.
Date.......
RANCHI

घटनाएं समाज में आक्रोश एवं तनाव उत्पन्न कर सकती हैं तथा इससे सामाजिक सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी रहती है। मैंने इस घटना की सुचना तत्काल अरगोड़ा थाना प्रभारी को दिया जिसपर थाना प्रभारी स्वयं आकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। मुर्ति का कालीख पोता हुआ फोटो ग्राफ भी लिया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए हम सभी कार्यकर्ताओं ने उसी रात्रि घटनास्थल पर प्रतिमा की साफ-सफाई की तथा प्रतिमा को यथासंभव पूर्व स्वरूप में लाने का प्रयास किया।

इस कृत्य को अंजाम देने वाले वास्तविक दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के शिकंजे में लाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि उन्हें कानून के अनुसार दंड मिल सके और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

अतः श्रीमान से मेरा स्पष्ट एवं विनम्र अनुरोध है कि मेरी इस शिकायत को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु स्वीकार करते हुए अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए तथा मामले की गंभीरता से जांच की जाए।

घटना में संलिप्त सभी व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध लागू कानून की कठोर धाराओं में विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।

यदि जांच में यह सामने आता है कि इस कृत्य के पीछे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने अथवा क्षेत्र में तनाव उत्पन्न करने की मंशा थी, तो उसके अनुरूप लागू कानूनी प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जाए।

दोषियों की पहचान होने के बाद उनके विरुद्ध ऐसी प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में किसी भी राष्ट्रनायक की प्रतिमा के साथ इस प्रकार का कृत्य करने का दुस्साहस कोई न कर सके। उपरोक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 324/298/196/352/356 एवं प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत अपराथ है।

अतः श्रीमान से पुनः अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 324/298/196/352/356 एवं प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 प्राथमिकी दर्ज कर त्वरित एवं निष्पक्ष अनुसंधान करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने तथा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क एवं उनकी प्रतिमा की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करने की कृपा करें।

आपका विश्वासी

इन्द्रजीत कुमार यादव

उम्र–40

पिता–स्व. शिबु सिंह यादव

पता–एम.आई.जी.एम.एफ.एच.–10

हरमू हाउसिंग कॉलोनी

रांची झारखंड

मो.–7488956408

RANDY